

## समाहर्ता न्यायालय, पूर्णिया

आदेश की सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
27.10.2020	<p><b>उत्पाद वाद संख्या-160/2020</b></p> <p><b>(बड़हरा रघुवंशनगर थाना काण्ड सं०-30/2020 से उत्पन्न)</b></p> <p style="text-align: center;">राज्य</p> <p style="text-align: center;">बनाम</p> <p>1. जय कुमार पासवान, पिता-महंत पासवान, सा०-ओरलाहा, थाना-बी० कोठी, जिला-पूर्णिया (जप्त MOTORCYCLE NO.-BR11P-8567 के स्वामी)</p> <p style="text-align: right;">..... विपक्षी</p> <p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>अभिलेख उपस्थापित। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक 498/हि०शा० दिनांक-05.02.2020 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न कागजातों में वर्णित है कि उक्त वाहन की जांच दिनांक 28.01.2020 को ओरलाहा चौक के पास की गई। जांच के क्रम में विपक्षी के जप्त वाहन से 15 लीटर अवैध देशी शराब पाया गया। तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार कर बड़हरा रघुवंशनगर थाना काण्ड सं०-30/2020 दिनांक 28.01.2020 दर्ज कराई गई। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है।</p> <p>इस वाद में विपक्षी द्वारा समर्पित कारणपृच्छा दिनांक 06.10.2020 का अवलोकन किया। उनका मुख्य रूप से कथन है कि विपक्षी को साजिस के तहत फंसाया गया है। घटना की तिथि को विपक्षी बड़हरा बाजार से घर का सामान लेकर आ रहे थे। ओरलाहा विद्यालय के पास पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, जिसके साथ निरोज पासवान भी था, जो इस केश के जप्ति सूची के गवाह हैं। विपक्षी के वाहन से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। निरोज पासवान विपक्षी का 50,000.00 रुपये बेईमानी कर लिया है। जिनका उठना-बैठना थाना में होता है। पुलिस उसी के मेल में आकर झूठा देशी दारू दिखकर पकड़ लिया। विपक्षी एक गरीब एवं निःसहाय व्यक्ति हैं। जिनका कोई अपराधिक इतिहास नहीं रहा है। अतएव जप्त वाहन को मुक्त करने की कृपा की जाय।</p> <p style="text-align: center;">विपक्षी से प्राप्त कारणपृच्छा, पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया से प्राप्त</p>	



प्रस्ताव तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन से अवैध शराब जप्त हुआ है। स्पष्ट है कि जप्त वाहन के द्वारा शराब का परिवहन किया गया है। विपक्षी का कारणपृच्छा संतोषप्रद नहीं है, जिसे अस्वीकृत किया जाता है।

संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत उक्त वाहन को राजसात किया जाना विधिसम्मत प्रतीत होता है।

अतः मैं राहुल कुमार, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी -सह-समाहर्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत जप्त MOTORCYCLE NO.-BR11P-8567 को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात का आदेश देता हूँ। अधीक्षक मद्यनिषेध, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक, मद्यनिषेध, पूर्णिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें।

विपक्षी यदि पारित आदेश से असंतुष्ट हैं तो अपीलीय प्राधिकार उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में 90 (नब्बे) दिनों के अन्दर अपील दायर कर सकते हैं।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्ता,  
पूर्णिया।

समाहर्ता,  
पूर्णिया।